प्रो० विनयकुमारः
सचिवः

उत्तराखण्ड-संस्कृत-संस्थानम्
(उत्तराखण्डसर्वकारः)
'संस्कृतभवनम्', रानीपुरझालं, ज्वालापुरं, हरिद्वारम्–249407
Email: uksa2002@gmail.com,
Web: www.uksa.uk.go.in

पत्रांक सं0– 1150-53 /08/वेद अध्ययन केन्द्र/प्रकाशन/2026–27 **दिनांक 07 सितम्बर, 2026**

परिपत्र (Circular)

समस्त प्रधानाचार्य,
संस्कृत विद्यालय/संस्कृत महाविद्यालय
हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी एवं अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)।

विषय– "वेद अध्ययन केन्द्र संचालन योजना" के संबंध में।

एतद्द्वारा अवगत कराया जाता है कि उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम् (उत्तराखण्ड सरकार) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 में प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों एवं संस्कृत महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को शुक्ल6 यजुर्वेद (माध्यन्दिन शाखा) के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत प्रथम चरण में प्रदेश के 04 प्रमुख स्थान– हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी एवं अल्मोड़ा में **'वेद अध्ययन केन्द्र'** का संचालन किये जाने की योजना प्रस्तावित की गई है।

उक्त योजना के अन्तर्गत **'वेद अध्ययन केन्द्र'** का संचालन अपने संस्कृत विद्यालय में किये जाने हेतु उपर्युक्त स्थानों में संचालित संस्कृत विद्यालयों एवं संस्कृत महाविद्यालयों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं। प्राप्त आवेदन पत्रों में वांछित सूचनाओं के आधार पर उपर्युक्त प्रत्येक स्थान में संचालित 01 संस्कृत विद्यालय का "मुख्य केन्द्र" एवं आवश्यकतानुसार उसके समीपस्थ विद्यालय का "उपकेन्द्र" के रूप में निर्धारण किया जाएगा। प्रत्येक वेद अध्ययन केन्द्र हेतु प्रतिमाह रू0 30,000.00 (तीस हजार मात्र) के मानदेय पर यजुर्वेद संहिता (माध्यन्दिन शाखा) का योग्य वेद प्रशिक्षक संस्थानम् के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

अतः **'वेद अध्ययन केन्द्र'** के संचालन के इच्छुक संस्कृत विद्यालय/संस्कृत महाविद्यालय संलग्न प्रारूपानुसार आवेदन पत्र को भरकर संस्थानम् के ई–मेल office-uksa@ukgovernment.in अथवा uksa2002@gmail.com पर दिनांक 25.09.2026 की सायं 05:00 बजे तक प्रेषित करें। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र अविचारणीय होंगे।

संलग्नक– आवेदन पत्र का प्रारूप।

7/9/26
(प्रो0 विनय कुमार)
सचिव।

पत्रांक सं0– — /08/वेद अध्ययन केन्द्र/प्रकाशन/2026–27 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार।
3. संबंधित पत्रावली।

(प्रो0 विनय कुमार)
सचिव।

उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम् (उत्तराखण्ड सरकार)

वेद अध्ययन केन्द्र संचालन योजना 2026–27

वेद अध्ययन केन्द्र संचालन हेतु आवेदन पत्र

विवरण– 1

(1) स्थान (हरिद्वार / ऋषिकेश / हल्द्वानी / अल्मोड़ा में से कोई एक) ....

(2) विद्यालय का नाम व पता...

.... पिन कोड ....

(3) प्रधानाचार्य का नाम .... मोबाईल संख्या ....

(4) पत्राचार संकेत ....

....

(5) विद्यालय का प्रकार (अनुदानित / वित्तविहीन) ....

(6) विद्यालय का संचालन प्रकार (आवासीय / अनावासीय) ....

(7) छात्र संख्या विवरण– कुल पंजीकृत .... आवासीय छात्र .... वेद अध्ययन के इच्छुक छात्र ....

(8) न्यास (ट्रस्ट)/सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकरण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।

(9) उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय / संस्कृत शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त मान्यता प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें।

विवरण– 2

(1) क्या विद्यालय के आवासीय परिसर में वेद प्रशिक्षक हेतु आवास की व्यवस्था उपलब्ध हो सकती है? ....

(2) क्या विद्यालय में यज्ञशाला निर्मित है? ....

(3) क्या 40-50 छात्रों के समेकित वेद अध्ययन हेतु विद्यालय परिसर में बृहद् सभागार / कक्ष निर्मित है? ....

(4) क्या विद्यालय में शुक्ल यजुर्वेद (माध्यन्दिन शाखा) की पुस्तकें उपलब्ध हैं? यदि हाँ तो कितनी? ....

(5) समीपस्थ अन्य संस्कृत विद्यालय का नाम एवं दूरी (किमी. में) ....

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उत्तराखण्ड संस्कृत संस्थानम् की **'वेद अध्ययन केन्द्र संचालन योजना'** के अंतर्गत अपने संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालय में केन्द्र संचालन का इच्छुक हूँ तथा संस्थानम् की नियमावली के अनुरूप वेद अध्ययन केन्द्र संचालन में अपेक्षित सर्वविध सहयोग प्रदान करूंगा।

दिनांक **हस्ताक्षर प्रधानाचार्य**

मोहर